बिहार सरकार

अर्थ एवं साख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०2–16/2015 395 पटना, दिनाक 04.12.17

कार्यालय आदेश

मो० नुरूज्जमा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, खुशरूपुर प्रखड, पटना के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 मे किसानों/पैक्सो से खरीद किये गये धान की क्षति /गबन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1029 /आपूर्ति दिनांक 27.05 2015 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं० 171 सहपठित ज्ञापांक 897 दिनाक 13.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मो० नुरूज्जमा के विरूद्ध गठित प्रपत्र 'क' मे निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे .–

1 जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2012–13 मे किसानों/पैक्सो से धान की खरीद करने हेतु प्रभारी धान क्रय के रूप मे प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा खुशरूपुर धान क्रय केन्द्र मे कुल 18990 80 क्वींटल धान की खरीद की गई थी। आपके द्वारा निर्गत भडार निर्गमादेश के विरूद्ध राईस मिलरो को कुल 18720 00 क्वीटल धान की आपूर्त्ति की गई एव अवशेष 270.80 क्वीं० धान को क्षतिग्रस्त करा दिया गया । जिसका मूल्य 353231 52 रू० होता है। उक्त धान की नीलामी की गई और नीलामी से मात्र 162480 00 रू० सरकार को प्राप्त हुआ । इस प्रकार आपके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नही कर 190791 92 रू० की सरकारी सम्पत्ति का दुरूबिनियोग कर अमानत मे ख्यानत किया गया है, जो आपसे वसूलनीय है।

2 अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना–सह–सचालन पदाधिकारी द्वारा पत्राक –58 दिनाक 20 04.2017 के माध्यम से मो० नुरूज्जमा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

3 समर्पित जॉच प्रतिवेदन मे संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि " आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है, क्योंकि राज्य खाद्य निगम, पटना पर दोष मढ देने से वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते है। उनके द्वारा ऐसा कोई तथ्य /साक्ष्य दाखिल नही किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि उनके द्वारा धान को खराब होने से बचाने हेतु समुचित प्रबंध किया गया था। उनके द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मे अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती गई, जिसके फलस्वरूप धान क्षतिग्रस्त हो गया।

आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है। "

4 संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 950 दिनांक 18 05 2017 द्वारा मो० नुरूज्जमा से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। मो० नुरूज्जमा द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 19 06 2017 को समर्पित किया गया है। श्री नुरूज्जमा द्वारा अपने अभ्यावेदन मे कहा

02673 स्था0 1 (30 अक्टूबर 2017) मो0 नुरूज्जमा

गया है कि उक्त रकम की वसूली हेतु नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना सिटी के न्यायालय मे सर्टीफिकेट केश दर्ज किया गया है और वाद मे एकतरफा फैसला देते हुए 190751 52 रू० वसूली उनके वेतन से करने का आदेश भी पारित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मो०नुरूज्जमा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में किसी नये तथ्यो का उल्लेख नहीं किया गया है। उनके द्वारा उन्ही बातों को दुहराया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को दिया गया था।

5. इस प्रकार मो० नुरूज्जमा पर गठित आरोप एव उसपर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से इन पर 190791.92 रूपये (एक लाख नब्बे हजार सात सौ इाकनवे रूपये बानवे पैसे) सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग करने का अरोप प्रमाणित होता है तथा ये घोर लापरवाही बरतने, कर्त्तव्यहीनता, नियमों के प्रतिकूल कार्य करने, अमानत मे ख्यानत करने एवं सरकारी सम्पति का दुरूपयोग करने एवं सरकारी कर्मचारी के आचरण के विपरीत कार्य करने के दोषी हैं।

6 अतः मो० नुरूज्जमा, तत्कालीन प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, खशरूपुर प्रखंड, पटना संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, वारिसलीगज, नवादा पर सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (Vi) के तहत सचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/—
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक : स्था०1/वि०2—16/2015 पटना, दिनाक

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना/नवादा।
3. जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना/नवादा।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वरिसलीगंज, नवादा।
5. मो०नुरूज्जमा, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक , खुशरूपुर, पटना संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक वारिसलीगज, नवादा

को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
निदेशक

ज्ञापांक :— स्था०1/वि०2—16/2015 2707 पटना, दिनांक · 04 · 12 · 17

प्रतिलिपि — श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना, को निदेशालय के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/12/17
निदेशक